

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	अग्रहायण 04, सोमवार, शाके 1941-नवम्बर 25, 2019 <i>Agrahayana 04 Monday, Saka 1941-November 25, 2019</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

आदेश

जयपुर, नवम्बर 25, 2019

संख्या प.8(ग)()/नियम/डीएलबी/19/36809 :-विभागीय अधिसूचना दिनांक 18.10.19 द्वारा नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा को विभाजित करते हुए दो-दो नगर निगम नवगठित किये गये हैं। वर्तमान नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा के निर्वाचित बोर्ड (मेयर एवं सदस्यो) का कार्यकाल दिनांक 25.11.19 को समाप्त हो रहा है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 320 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नवगठित नगर निगमों में निर्वाचित बोर्ड के गठन तक निम्न अधिकारियों को प्राधिकारी नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	वर्तमान नगर निगम	नवगठित नगर निगम	प्राधिकारी
1.	नगर निगम जयपुर	1. नगर निगम जयपुर-हैरिटेज	श्री विजय पाल सिंह, (आई.ए.एस.) आयुक्त नगर निगम
		2. नगर निगम जयपुर-ग्रेटर	श्री विजय पाल सिंह, (आई.ए.एस.) आयुक्त नगर निगम
2.	नगर निगम जोधपुर	1. नगर निगम जोधपुर-उत्तर	श्री सुरेश ओला, (आई.ए.एस.) आयुक्त नगर निगम
		2. नगर निगम जोधपुर-दक्षिण	श्री सुरेश ओला, (आई.ए.एस.) आयुक्त नगर निगम
		1. नगर निगम कोटा-उत्तर	श्री वासुदेव मालावत, (आर.ए.एस.)

3.	नगर निगम कोटा		आयुक्त नगर निगम
		2. नगर निगम कोटा-दक्षिण	श्री वासुदेव मालावत, (आर.ए.एस.) आयुक्त नगर निगम

उक्त प्राधिकारी नवगठित नगर निगमो के निर्वाचित बोर्ड की स्थापना होने तक, नगरपालिका (Municipality) की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेंगे तथा उक्त प्राधिकारियों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका (Municipality) समझा जावेगा। उक्त प्राधिकारी नवगठित नगर निगमो हेतु आयुक्त का कार्य भी करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
उज्ज्वल राठौड़,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।